क्रम संख्या–10 (ड) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई0

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 16/XXXVI (3)/2018/91(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2018)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"मनोरंजन कर आयुक्त" के स्थान पर "आयुक्त राज्य कर" पढ़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में जहॉ–जहॉ शब्द "मनोरंजन कर आयुक्त" प्रयुक्त हुआ है, वहॉ–वहॉ वह शब्द "आयुक्त राज्य कर" के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 16/XXXVI(3)/2018/91(1)/2017
Dated Dehradun, January 05, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Cinemas (Regulation) (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 05 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03 January, 2018.

THE UTTARAKHAND CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 05 of 2018)

An

Act

Further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955(As applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand.

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the sixty-eighth year of the Republic of India, as follows):-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 2017.
(2) This shall come into force at once.

The words "Entertainment Tax Commissioner" shall be read as "Commissioner State Tax"

2. In the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as applicable to the State of Uttarakhand), wherever the words "Entertainment Tax Commissioner" is occurs, it shall be read as "Commissioner State Tax"

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

कारण और उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में चलचित्रों से संबंधित विभिन्न मामलों के विनियमन हेतु "उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955" लागू है। दिनांक 01.7.2017 से उत्तराखण्ड राज्य में अप्रत्यक्ष कर की नई प्रणाली जी0एस0टी0 लागू हो जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–3 के अंतर्गत अधिकारियों के पदनाम अधिसूचित किये गये हैं, इसके अंतर्गत विभागाध्यक्ष का पूर्व में प्रचलित नाम **"मनोरंजन कर आयुक्त"**(आयुक्त कर) के स्थान पर **"आयुक्त राज्य कर"** अधिसूचित किया जा चुका है।

2. अतः प्रस्तावित "उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2017" में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त "उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)" में जहाँ–जहाँ शब्द "मनोरंजन कर आयुक्त" प्रयुक्त हुआ है, वहाँ–वहाँ शब्द "आयुक्त राज्य कर" पढ़े जाने, विषयक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रकाश पन्त
वित्त मंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधायी / 45–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।